

प्रशासन गांवों के संप्र अभियान-2021  
कैम्प ग्राम पंचायत मुजलावा

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकदमा

रायसिंहनगर

खेमादेवी

बनाम

राजकार

नम्बर 17 सन् 2021

मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/ 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्रा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
03/01/2022	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार मुजलावा रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गा.सं.अ./20.2/1536 दिनांक 03/01/2022 के द्वारा प्रशासन गांवों के संप्र अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुजलावा में प्रार्थी के नाम चक मुजलावा 85 की जमावंदी सम्वत् 2014-17 के खाता सं. 85</p> <p>खेमादेवी पति राजकार</p>	
	<p>के स्थान पर खेमादेवी व/0 राजकार</p>	
	<p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंगा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार मुजलावा रायसिंहनगर की अनुशंगा के आधार पर वाके चक मुजलावा 85 तहसील रायसिंहनगर की जमावंदी सम्वत् 2014-17 के खाता सं. 85 में</p> <p>खेमादेवी व/0 राजकार</p>	
	<p>के स्थान पर</p>	
	<p>खेमादेवी व/0 राजकार</p>	
	<p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शप अकन बदलने का। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	
	<p>(अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	

